

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 06/2016-17

शांति मरीक एवं अन्य अपीलकर्ता

बनाम

रामेश्वर बैठा उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

31/12/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0- 06/2016-17 शांति मरीक एवं अन्य बनाम रामेश्वर बैठा, सा0 जयनगरा, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर.ई. वाद सं0- 34/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरुद्ध दायर किया गया है। जिसमें अपीलकर्ता को मौजा जयनगरा के वर्तमान सर्वे जमाबन्दी सं0 24 के अन्तर्गत दाग सं0 217 से उच्छेदित किया गया है।

मैंने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता को निम्न न्यायालय में सुनवाई के दौरान कागजात दाखिल करने हेतु मौका नहीं दिया गया। प्रश्नगत दाग पर अपीलकर्ताओं के नाम से बॉसगीत पर्चा निर्गत है तथा उस पर घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसपर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी की उपस्थिति न्यायालय में नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तरकारी द्वारा दिनांक 30.12.2016 को कागजात के साथ लिखित बहस दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा जयनगरा के गैंजर सर्वे के जमाबन्दी सं0 37 मदन बैठा एवं जानकी बैठा के नाम से दर्ज है। उत्तरकारी जमाबन्दी रैयत जानकी बैठा के पुत्र है। उक्त जमाबन्दी के पुराना दाग सं0 153 जो वर्तमान सर्वे में दो नये दाग सं0 216 रकवा 0.05डी0, हाल जमाबन्दी नं0 15 किस्म जमीन बाड़ी-। हाल खतियानी रैयत जानकी बैठा पिता कटकी बैठा वो कमला बैठाईन पिता मदन बैठा एवं दाग सं0 217 रकवा 0.02डी0 जमाबन्दी नं0 24 किस्म जमीन (मकान) हाल खतियानी रैयत प्रभु मरीक वो शांति मरीक पिता लाल चन्द्र मरीक के नाम से दर्ज है। उत्तरकारी द्वारा जमाबन्दी नं0 24 के दाग सं0 217 रकवा 0.02डी0 जमीन में अपीलकर्ता के नाम से दर्ज खतियान को रद्द करने हेतु न्यायालय प्रमारी पदाधिकारी 11, सं0प0 बन्दोबस्त, दुमका के न्यायालय में कालबाधित वाद सं0 95/09

दायर किया गया जिसमें उत्तरकारी के दावों को यह कहकर स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त प्लॉट की बन्दोबस्ती के संबंध में किसी प्रकार का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही बन्दोबस्ती का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है। उक्त दाग से अपीलकर्ता के नाम को खारिज करते हुए उत्तरकारी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

उत्तरकारी द्वारा इन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते हुए कागजात के साथ लिखित बहस दाखिल किया गया है एवं अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता भूमिहीन श्रमिक है उक्त दाग में बॉसगीत पर्चा मिला है तथा वर्ष 2015-16 का लगान रसीद प्रधान द्वारा निर्गत है। उक्त दाग में उनका मकान बना हुआ है किन्तु उनके द्वारा दाखिल लगान रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दाग सं० 561(परती कदीम), दाग सं० 95 (मकान) एवं 168 (मकान) दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित दाग के अलावे उनका इन दागों में जमीन एवं मकान है जो भूमिहीन श्रेणी में नहीं आते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन रैयती जमीन है एवं उत्तरकारी के नाम से वर्तमान सर्वे में दर्ज करने का आदेश है। अपीलकर्ता के दर्ज नाम को प्रभारी पदाधिकारी-11, सं०५० बन्दोबस्त, दुमका के कालबाधित वाद सं० 95/2009 में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता के दावों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।